राजस्थान आवासन मण्डल

क्रमांक : 0659 दिनांक :16.07.10

निविदा सूचना संख्या–02/2010–11

राजस्थान आवासन मंडल की ओर से आवासीय योजना मानसरोवर, जयपुर एवं अजमेर योजना में निम्नलिखित कार्यों हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सीलबंद निविदायें नये नियमानुसार मंडल में पंजीकृत व अन्य विभागों के 'ए' व 'एए' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों, फर्मों से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण की सत्यापित छायाप्रति, बिक्रीकर विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं केन्द्रीय उत्पाद विभाग में सर्विस टैक्स हेतु पंजीयन के प्रमाण पत्र की छाया प्रति तथा अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों को उचित कार्य रिपोर्ट पाये जाने पर 2 प्रतिशत एवं राजस्थान आवासन मंडल में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा ½ प्रतिशत अमानत राशि का पे–आर्डर (प्रत्येक कार्य के लिये अलग–अलग) उप आवासन आयुक्त वृत्त द्वितीय जयपुर के पक्ष में देय होगा, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। निविदाएं दिनांक 23.07.2010 से 02.08.2010 को सायं 5.00 बजे तक विक्रय की जाकर दिनांक **03.08.2010 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवं उसी दिवस को 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोली जावेगी। उपरोक्त कार्य दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश होने पर उसके अगले कार्य दिवस पर निविदा विक्रय एवं प्राप्त कर खोली जावेगी।**

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	निविदा शुल्क	कार्य की अवधि	संबंधित खण्ड
1.	Supply, Installation, Testing & Commissioning of Elevators (2 Nos.) at MIG-B 54 Nos. flats, Ram Krishana Apartment, Sector-14, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur.	25.00	1000.00	छः माह	नवम्
2.	Maintenance of Community Centre, Sector-6, Mansarovar, Jaipur	9.53	500.00	एक वर्ष	नवम्
3.	नाकामदार योजना अजमेर में स्ट्रीट लाइटों के रख–रखाव का कार्य	3.00	500.00	एक वर्ष	अजमेर

नोटः **1.** क्रम संख्या 01 में वर्णित कार्य के निविदा प्रपत्र उन्हीं संवेदकों को जारी किये जायेंगे जो उक्त कार्य में कार्यानुभव रखते हों। **2.** कोई भी निविदा अथवा समस्त प्राप्त निविदा बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है। **3.** राजस्थान आवासन मंडल में भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दायित्व ठेकेदार को वहन करना होगा। **4.** सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। 5. अन्य विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों को निविदा प्रपत्र, निविदा स्वीकृत करने के सक्षम अधिकारी की अनुमति पर ही जारी किये जायेंगे।

उप आवासन आयुक्त, वृत्त– ।।, जयपुर

Website